पंजाब डिस्टिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

बनाम

आयकर कमिश्नर, पंजाब।

9 फरवरी, 1965

[के. सुब्बाराव, रघुबर दयाल, जे. आर. मुधोलकर,

आर.एस. बचावत और वी. रामास्वामी, जे.जे.]

भारतीय आयकर अधिनियम 1922(1922 का 11), धारा 2(ए)(डी)- संचित लाभ की सीमा तक कंपनी की पूंजी में कमी पर वितरण को 'लाभांश' के रूप माना जाता है- ऐसा लाभांश चाहे प्रविष्टि 54, सूची I, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत 'आय' हो- धारा चाहे अधिकारातीत हो।

'वितरण'- का अर्थ- आयकर अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत चाहे 'भुगतान किया गया' या 'क्रेडिट' का पर्यायवाची हो-भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 61 (4) के तहत प्रमाण पत्र जारी करने पर काल्पनिक वितरण होता है या नहीं।

अपीलकर्ता कंपनी ने अपनी पूंजी कम कर दी और उच्च न्यायालय ने कटौती की पुष्टि की। 4 नवंबर,1954 को, यानी 30 नवंबर,1954 को समाप्त होने वाले अपीलकर्ता के लेखा वर्ष के दौरान, कंपनी रजिस्टार के

द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 61(4) के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किया। हालांकि, कटौती के परिणाम स्वरूप अधिशेष शेयर पूंजी उक्त लेखा वर्ष के दौरान धारकों को वापस नहीं की गई थीं। इसे वास्तविक भुगतान या अगले लेखा वर्ष में क्रेडिट प्रविष्टियों द्वारा वापस कर दिया गया था, जो 30 नवंबर 1955 को समाप्त हुआ था। आयकर अधिकारी ने माना कि संचित लाभ की सीमा तक उक्त विवरण भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के धारा 2(6ए)(डी) के तहत 'लाभांश' था। उन्होंने आगे कहा कि वितरण 30 नवंबर, 1955 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष में हुआ, जो मूल्यांकन वर्ष 1956-57 के लिए प्रासंगिक है। इन निष्कर्षों पर उन्होंने वित्त अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची के भाग II के पैराग्राफ डी के दूसरे प्रावधान के उपधारा (i)(बी) के संदर्भ में सुपर-टेक्स पर छुट की गणना की। आयकर अधिकारी के निष्कर्षों को अपीलीय सहायक आयुक्त और अपीलीय न्यायाधिकरण और भी, रेफरेंस में, उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। अपीलकर्ता प्रमाणपत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आया था।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि (1) इन परिणामी पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल करने के लिए लाभांश को परिभाषित करना कटौती पर पूंजी के वितरण से विधायिका भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 54 सूची I के दायरे से बाहर चली गई और परिणामस्वरूप भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा 2(6ए)(डी)

अधिकारातित था। (2) भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 61 (4) के तहत पंजीयक का प्रमाण पत्र 4 नवंबर, 1954 को जारी किया गया था और इसलिए धारा 2(6ए)(डी) के तहत वितरण, निर्धारण वर्ष 1955-56 संबंधित पिछले वर्ष में हुआ था।

अभिनिर्धारित: भारत सरकार अधिनियम 1935, की सातवीं अनुसूची की सूची 1 प्रविष्टि 54 में अभिव्यक्ति 'आय' और भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 82 का व्यापक और उदारता पूर्वक समझा जाना चाहिए ताकि विधानमंडल को आयकर की चोरी की रोकथाम के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने में सक्षम बनाया जा सकें [5एच;6ए]

संयुक्त प्रांत बनाम अतीका बेगम, [1940] F.C.R 110, सरदार बलदेव सिंह बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली और अजमेर, [1961] 1 SCR 482, [1962], बालाजी बनाम आयकर अधिकारी विशेष जांच सर्कल 2 SCR 983 और नवनीतलाल सी. जावेरी बनाम के. के. सेन, आयकर' ' , बॉम्बे के अपीलीय सहायक आयुक्त, [1965] 1 SCR 909, संदर्भित।

एक कंपनी अपनी पूंजी कम करने के बहाने अपने संचित लाभ का उपयोग शेयरधारकों को शेयरों पर चुकाई गई राशि का पूरा या कुछ हिस्सा वापस करने के लिए कर सकती है। यह पूँजी विभाजन की आड़ में लाभ विभाजन है। यदि इसकी अनुमति दी जाती तो अति-कर की चोरी होती। धारा 2 (6ए) (डी) इस तरह की चोरी को रोकने के लिए एक कानून का

प्रतीक है और इसलिए यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची सात की सूची I की प्रविष्टि 54 के तहत आता है। [6 एच; 7 ए, जी]

किसी रसीद के पूंजीगत होने और आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य माने जाने के बीच कंपनी कानून के तहत कोई असंगतता नहीं है। [7 एफ-जी]

प्रति सुब्बाराव. मुधोलकर और रामास्वामी, जे.जे। अभिव्यक्ति 'वितरण' कुछ वास्तविक और कुछ नहीं को दर्शाता है। धारा16 (2) में 'भुगतान' या 'क्रेडिट' की तरह, वितरण का अर्थ कंपनी के देनदारी का निर्वहन और उसके हकदार सदस्यों को लाभांश उपलब्ध कराना है। [8 डी, एफ, जी]

जे. डालमिया बनाम आई. टी. आयुक्त दिल्ली के (1964) 53 आई. टी. आर. 83 और श्रीमती पी. आर. सरैया बनाम आय-कर आयुक्त, बॉम्बे सिटी 1 बॉम्बे, [1965] 1 एस. सी. आर. 307, पर भरोसा किया।

वितरण भौतिक हो सकता है, रचनात्मक भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अलग-अलग शेयरधारकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण या तो उनमें से प्रत्येक के संबंधित खातों में देय राशि जमा करके कर सकता है, या वास्तव में उनमें से प्रत्येक को उसके कारण देय राशि का भुगतान करके कर सकता है। [8 डी]

उपरोक्त तरीके से वितरण आंशिक रूप से एक वर्ष में और आंशिक रूप से दूसरे वर्ष में हो सकता है। लेकिन संचित लाभ की राशि कंपनी द्वारा अपनी पूंजी को कम करने के संकल्प द्वारा तय की जाती है, और यह आंकड़ा भुगतान या क्रेडिट की तारीख के साथ नहीं बदलता है। [9 डी,ई]

वर्तमान मामले में भुगतान और क्रेडिट वास्तव में 30 नवंबर, 1955 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के दौरान दिये गए थे। धारा 2 (6 ए) (डी) के तहत लाभांश को उक्त वर्ष में वितरित माना जाना चाहिए। इसलिए प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष 1956-57 था। [10 एफ]

प्रति रघुबर दयाल और बचावत, जे. जे। धारा 2 (6 ए) (डी) में 'वितरित' शब्द का अर्थ 'भुगतान' या 'क्रेडिट'नहीं है। इस धारा 16 (2) के तहत मामले, मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। [14 जी-एच]

धारा 2 (6 ए) (डी) द्वारा विचारित 'वितरण' पूँजी में कमी के समय वितरण है। अर्थात जब पूँजी को कम करने का कम्पनी का संकल्प प्रभावी होता है। इसका अर्थ है शेयरधारकों के बीच अधिशेष का आवंटन या विभाजन, यह आवंटन होता है और प्रत्येक शेयरधारक को पूंजी कम होते ही अधिशेष के अपने हिस्से का निहित अधिकार मिल जाता है। [12 एफ-एच]

जबकि उपरोक्त वितरण एक ही तिथि पर यानी पूँजी में कमी की तारीख को होता है। शेयरधारकों को भुगतान या तो वास्तविक या खाता

बही में क्रेडिट प्रविष्टियों द्वारा बाद में और अलग-अलग तिथियों पर किया जा सकता है। क्रमिक भुगतानों को धारा 2(6ए) (डी) द्वारा 'वितरण' पर विचार नहीं किया जा सकता है। [13 ए-सी]

तत्काल मामले कंपनी की पूंजी में कमी के लिए संकल्प और शेयरधारक को अधिशेष पूंजी की परिणामी वापसी 4 नवंबर, 1954 को प्रभावी हुआ। नतीजतन धारा 2(6ए) (डी) द्वारा लाभांश का वितरण परिभाषित किया गया। उस तारीख को अर्थात आंकलन वर्ष 1955-56, के अनुरूप पिछले वर्ष के दौरान हुआ था। [15B]

अपीलार्थी की ओर से एन. सी. चटर्जी और आर. वी. पिल्लई।

प्रतिवादी की ओर से सी. के. दफ्तरी, अटॉर्नी-जनरल, आर. गणपति अय्यर, आर. एच. ढेबर की ओर से आर. एन. सचेती।

सुब्बा राव, मुधोलकर और रामास्वामी जे जे का निर्णय सुब्बा राव, जे. द्वारा दिया गया। दयाल और बचावत जे. जे. की असहमति पूर्ण राय बचावत जे. द्वारा दी गईं ।

सुब्बा राव, जे.: प्रमाण पत्र द्वारा यह अपील मुख्य प्रश्न उठाती है कि क्या धारा 2(6ए) (डी) भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922, का जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा, जो केंद्रीय विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

करदाता, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, को 23 मई 1945 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत 50 लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। 15 दिसंबर 1947 कोें अपीलार्थी के कहने पर उच्च न्यायालय ने कंपनी की पूँजी रु. 50 लाख से लेकर शेयर पूंजी को रुपये 25 लाख तक की कटौती को मंजूरी दी । 16 दिसंबर, 1953 को उच्च न्यायालय ने 25 लाख से लेकर रु 15 लाख तक की कटौती को मंजूरी दी। 4 नवंबर, 1954 वर्ष को कंपनियों के रजिस्टार ने भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 61 (4)के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रदान किया। 5 नवंबर, 1954 को अपीलार्थी ने शेयरधारकों को नोटिस जारी कर कम की गई शेयर पूंजी की वापसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आवेदनों की प्राप्ति पर, शेयरधारकों के खातों में उचित डेबिट प्रविष्टियां की गईं और वास्तव में पिछले वर्ष यानी 1 दिसंबर, 1954 से 30 नवंबर, 1955 के दौरान राशि का भुगतान किया गया। अधिनियम की धारा 2 (6ए) (डी) के तहत लाभांश में किसी कंपनी द्वारा अपनी पूंजी में कटौती पर उस सीमा तक वितरण शामिल है जिस हद तक कंपनी के पास संचित लाभ है, चाहे ऐसे संचित लाभ को पूंजीकृत किया गया हो या नहीं। मूल्यांकन वर्ष 1956-57 के लिए अपीलकर्ता कंपनी की आय का आकलन करने में आयकर अधिकारी ने माना कि उक्त लाभांश लेखांकन वर्ष के दौरान वितरित किए गए थे और उस निष्कर्ष पर उन्होंने वित्त अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची के भाग II के अनुच्छेद डी के दूसरे परंतुक का सी. एल.

(i)(b) के संदर्भ में अति कर पर छूट की गणना की। अगर लाभांश लेखा वर्ष के दौरान वितरित किए गए थे अर्थात् 1दिसंबर 1953 से 30 नवंबर, 1954 को अपीलार्थी वित्त अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची के भाग II के अनुच्छेद डी के पहले परंतुक का सी. एल.(ii) के तहत अतिरिक्त कर पर छूट की उच्च दर का हकदार होगा। आयकर अधिकारी ने आगे कहा कि पूंजी में कमी के समय निर्धारिती का संचित लाभ रु 25 लाख से रु 15 लाख रुपये पर 8,42,337 था। अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त ने आयकर अधिकारी के पास आए उक्त आंकडे को स्वीकार कर लिया। आगे की अपील पर, आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में दर्ज किए गए कारणों के लिए, उक्त मद के तहत आंकडे को रु 3,61,405 की राशि से कम कर दिया।

निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया कि जितना 25 लाख से रु 15 लाख रुपये से पूंजी को कम करने के लिए पंजीयक से प्रमाण पत्र के रूप में 4 नवंबर 1954 को े प्राप्त हुए थे, लाभांश का वितरण वर्ष 1953-54 के दौरान माना जाना चाहिए और इसलिए उक्त लाभांश मूल्यांकन वर्ष के लिए कर के दायरे में नहीं थे। आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त और न्यायाधिकरण ने समवर्ती रूप से उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि शेयरधारकों को पूंजी की वापसी और शेयरधारकों के

खातों में डेबिट का वास्तविक भुगतान लेखा वर्ष में किया गया था, इसलिए उक्त लाभांश को लेखा वर्ष में वितरित किया जाना चाहिए।

11,687-3-0 रुपये की एक राशि अपीलकर्ता को खाली बोतलों के कारण सुरक्षा जमा के रूप में प्राप्त हुई । एक सवाल उठाया गया था कि क्या उक्त राशि को पूंजीगत लाभ माना जा सकता है और इसलिए इसे संचित लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए। अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती के पक्ष में निर्णय दिया।

निर्धारिती और आयकर आयुक्त ने दो आवेदन न्यायाधिकरण के समक्ष, न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्नों को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए दायर किए। न्यायाधिकरण कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को उच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए भेजा गया।

(1) क्या भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा 2 (6ए) (डी) के प्रावधान केंद्रीय विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

(2) क्या भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा 2 (6ए) (डी) के भीतर संचित लाभ की राशि रु. 4,69,244-13-0 को 25 लाख से रु 15 लाख रुपये से पूंजी की कमी पर वितरित माना जा सकता है।

(3) क्या राशि 11,687-3-0 को खाली बोतलों के कारण निर्धारिती द्वारा प्राप्त सुरक्षा जमा को पूंजीगत लाभ माना जा सकता है।

(4) क्या भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 61 (4) के तहत कंपनी रजिस्टार के द्वारा दिये गए प्रमाण पत्र के मद्देनजर संचित लाभ को मूल्यांकन वर्ष 1955-56 में वितरित किया गया, लाभांश माना जा सकता है, या लाभांश को मूल्यांकन वर्ष 1956-57 मेें वितरित माना जा सकता है क्योंकि धनवापसी के डेबिट वास्तव में मूल्यांकन वर्ष 1956-57 लेखांकन अवधि के दौरान शेयरधारकों के खातों में किए गए थे।

उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के खिलाफ सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इसलिए याचिका दायर की गई है।

निर्धारिती के विद्वान वकील श्री एन. सी. चटर्जी, ने तीसरे प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उत्तर की सत्यता पर विवाद नहीं किया और इसलिए, इसके बारे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

पहला सवाल यह है कि क्या अधिनियम की धारा 2 (6ए) (डी) केंद्रीय विधानमंडल के अधिकार के अधीन नहीं है। भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम 1939 (1939 का अधिनियम VII) की धारा 2 की उप-धारा (6ए) में डाला गया था। अधिनियम की धारा 2 (6ए) (डी) में कहा गया है:

" 'लाभांश' में किसी कंपनी द्वारा अपनी पूंजी में कटौती पर उस सीमा तक कोई भी वितरण शामिल है जिस हद

तक कंपनी के पास संचित लाभ है, जो 1 अप्रैल 1933 से पहले समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत के बाद उत्पन्न हुआ था, चाहे ऐसा संचित लाभ पूंजिकृत किया गया हो या नहीं।"

1939 का उक्त अधिनियम VII केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935, की सातवीं अनुसूची की धारा 100 की सूची I की प्रविष्टि 54 के साथ पढ़ा गया प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था। प्रविष्टि 54 में लिखा हैः

"कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर।"

श्री चटर्जी का तर्क है कि जबकि उक्त प्रविष्टि 54 विधानमंडल को "आय" पर उचित कर अधिरोपित करने के लिए सक्षम करती है। विधानमंडल, लाभांश की परिभाषा को बढ़ाकर ताकि एक शेयरधारक द्वारा उसके द्वारा योगदान की गई शेयर पूंजी के लिए प्राप्त राशि को शामिल किया जा सके, जो संभवतः नहीं किया जा सकता है। आय, पूंजीगत प्राप्ति पर कर लगाने का प्रयास करती है और इसलिए, उक्त खंड केंद्रीय विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

राजस्व के विद्वान वकील श्री आर. गणपति अय्यर, का तर्क है कि एक विधायी प्रविष्टि को व्यापक अर्थ प्राप्त होना चाहिए और इसकी व्याख्या किसी भी संकीर्ण या प्रतिबंधित अर्थ में नहीं की जानी चाहिए और यदि

ऐसा माना जाता है तो उक्त प्रविष्टि विधानमंडल को कानून बनाने में सक्षम बनाती है। छल द्वारा आय पर कर की चोरी को रोकना और मौजूदा मामले में विधानमंडल पूँजी में कमी की आड़ में लाभ वितरित करने वाली कंपनियों द्वारा कर चोरी की बढ़ती बुराई को रोकना चाहता है।

रूल आफ कंस्ट्रक्शन का यह सुस्थापित नियम है कि विधायी सूचियों मे‌ े प्रविष्टियों को संकीर्ण या प्रतिबंधित अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता हैः उन्हें सबसे उदारता से और उनके व्यापक आयाम में समझा जाना चाहिए। संयुक्त प्रांत बनाम अतीका बेगम ([1]) में ग्वायर सी.जे. के शब्दों में "प्रत्येक सामान्य शब्द को सभी सहायक या सहायक मामलों तक विस्तारित किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष और उचित रूप से समझा जा सकता हैं। इसे समझने के लिए कहा जाता है।" इस न्यायालय ने कई निर्णयों में माना कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 54 में अभिव्यक्ति "आय" और संबंधित भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 82 का व्यापक और उदारता पूर्वक समझा जाएगा ताकि विधानमंडल को आयकर की चोरी की रोकथाम के लिए कानून प्रावधान करने में सक्षम बनाया जा सके। सरदार बलदेव सिंह बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली और अजमेर ([1]) में आयकर अधिनियम की धारा 23ए (1) के तहत इस न्यायालय में संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जिसने आयकर अधिकारी को ऐसे मामले में अतिकर

लगाने का अधिकार दिया, जहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कंपनी के कुल आय में से लाभांश के रूप में 60 प्रतिशत से कम वितरण किया है। इस उद्देश्य से कि अनुभाग का उद्देश्य उस कंपनी के शेयर धारकों द्वारा अतिकर से बचने को रोकना था जिसमें जनता को पर्याप्त रूचि नहीं थीं। बालाजी बनाम आयकर अधिकारी, विशेष जांच सर्कल ([2]) में इस न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 16 (3)(a)(i) और(ii) के तहत फैसला सुनाया कि जो आयकर अधिकारी को किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में उसकी पत्नी और नाबालिग बेटों की आय के हिस्से को शामिल करने में सक्षम बनाती हैं जो संवैधानिक रूप से वैध था कि इसका उद्देश्य अपनी पत्नियों या नाबालिग बच्चों के नाम पर संपत्तियों को रखने वाले व्यक्तियों द्वारा कर की चोरी को रोकना था, मामला जैसा भी हो। इस न्यायालय में फिर से नवनीतलाल सी. जावेरी बनाम. के. के. सेन, आय-कर के अपीलीय सहायक आयुक्त, (डी) रेंज, बॉम्बे ([3]) ने भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 धारा 2(6ए) (ई), की वैधता को बनाए रखा। जिसमें 'लाभांश' की परिभाषा शामिल है, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी द्वारा किसी शेयरधारक को अग्रिम या ऋण के रूप में किया गया भुगतान, जिस हद तक कंपनी के पास संचित लाभ था यह इस आधार पर कि यह निजी नियंत्रित कंपनियों को कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से अपने शेयरधारकों को अग्रिम देनेे या ऋण देने के युक्त् को अपनाने से रोकने के लिए एक उपाय था।

इसलिए, तत्काल मामले में सवाल यह है कि क्या अधिनियम की धारा 2 (6ए) (डी) की संवैधानिक वैधता है का समर्थन इस आधार पर किया जा सकता है कि इसे आयकर की चोरी को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। जबकि एक विधायी क्षेत्र को चित्रित करने वाली प्रविष्टि व्यापक रूप से होनी चाहिए और उदारतापूर्वक माने जाने पर, कर की गई वस्तु और इस तरह से चित्रित क्षेत्र के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए। उक्त खंड-किसी कंपनी द्वारा अपनी पूंजी की कटौती पर उस सीमा तक वितरण से संबंधित है, कंपनी जिस हद तक संचित लाभ रखती है। कंपनी के संचित लाभ का उपयोग निम्नलिखित 3 तरीकों से किया जा सकता हैः (1) पूँजी स्टॉक बढ़ाने के लिए; (2) शेयरधारकों के बीच समान वितरण के लिए लाभांश का तरीका और; (3) पूँजी को कम करने के लिए। आम तौर पर एक कंपनी जब परिसंपत्तियों का नुकसान या मूल्यह्रास होने पर पूंजी को कम करती है, उस स्थिति में शेयरधारकों को लाभ के वितरण का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन शेयरों का केवल अवमूल्यन किया जाता है। लेकिन एक कंपनी, अपनी पूंजी को कम करने के बहाने, अपने संचित लाभ का उपयोग शेयरधारकों को शेयरों पर चुकाई गई पूरी या आंशिक राशि का भुगतान करने के लिए कर सकती है। एक शेयरधारक को पूरा पैसा वापस मिल जाता है या उसके द्वारा योगदान की गई पूंजी का एक हिस्सा, वास्तव में उसे संचित लाभ का एक हिस्सा मिलता है, जो, यदि एक सीधे मार्ग का पालन किया जाता है, तो उसे लाभांश के रूप में प्राप्त

होना चाहिए था। यह पूंजी के विभाजन की आड़ में लाभ का एक विभाजन हैय पूंजी में कमी के रंग के तहत लाभ का वितरण। यदि इसकी अनुमति दी जाती, तो अति-कर की चोरी होती, जिसकी सीमा बुराई की व्यापकता के आधार पर निर्भर करेगी। विधायिका ने संभवतः राजकोष के हित में, उक्त भुगतानों को कराधान के दायरे में लाने के लिए 'लाभांश' की परिभाषा का विस्तार किया गया ऐसा करने से यह वास्तव में हाथों में मुनाफे पर कर लगा रहा है यद्यपि वे पूँजी की आड़ में उक्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी न्यायालय की मंजूरी के साथ कानूनी रूप से शेयर पूंजी को कम कर सकती है, शेयरधारकों को संचित लाभ के वितरण के माध्यम से की जाने वाली ऐसी कटौती केे खिलाफ कोई निषेध नहीं है, उन्हें इस तरह से भुगतान की गई राशि कानूनी रूप से पूंजी प्राप्तियां होंगी और इसलिए, कानूनन या वास्तव में आय पर कर की कोई चोरी नहीं हो सकती है। कंपनी अधिनियम की धारा ss 100 से 103 पर निर्भरता रखी गयी है। यह तर्क दो पहलुओं को मिलाता है-कानूनी और राजकोषीय। कंपनी कानून के तहत पूंजी को कम करने का सवाल अधिकांश शेयरधारकों के निर्णय के लिए घरेलू है। न्यायालय केवल यह देखने के लिए सामनेेें आता है कि कटौती उचित और न्यायसंगत है और अल्पसंख्यक और लेनदारों के हितों को नुकसान नहीं होता है। यह पूंजी को कम करने के संकल्प में सामान्य

निकाय के उद्देश्य से भी संबंधित नहीं हो सकता है लेकिन आयकर कानून कर चोरी से संबंधित है। कानून तोड़कर कर की चोरी की जा सकती है या कानून के संदर्भ में इससे बचा जा सकता है। जब कानून के संदर्भ में कर से कोई तथ्यात्मक परिहार होता है, तो विधायिका आयकर कानून में संशोधन करने के लिए कदम उठाती है ताकि वह ऐसी आय को कराधान के दायरे में रख सके। इसलिए, कंपनी कानून के तहत एक रसीद के पूंजीगत होने और आयकर अधिनियम के तहत काल्पनिक रूप से कर योग्य आय माने जाने के बीच कोई विसंगति नहीं है।

अतः अधिनियम की धारा 2(6ए) (डी) कर चोरी को रोकने के लिए एक कानून का प्रतीक है।यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची सात की सूची I की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत आती है।

अगला सवाल यह है कि क्या उक्त लाभांश वर्ष 1953-54 में वितरित किए गए थे, जैसा कि अपीलार्थी तर्क देता है, या लेखांकन वर्ष 1954-55 में, जैसा कि प्रतिवादी तर्क देता है। इस संदर्भ में अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ हैं 2(6ए) (डी) और धारा16 (2), धारा 2 (6ए) (डी) पहले ही निकाली जा चुकी है। धारा 16 (2) का प्रासंगिक भाग पढ़ता हैः

> "किसी निर्धारितीकी कुल आय में समावेशन के उद्देश्यों के लिए किसी भी लाभांश को पिछले वर्ष की आय माना

जाएगा। जिसमें इसका भुगतान, जमा या वितरित किया जाता है.."

"लाभांश" जिसके बारे में हम अब चिंतित हैं, वह नहीं है जो हम आम तौर पर उस अभिव्यक्ति से समझते हैं, बल्कि परिभाषा के अनुसार लाभांश है। अधिनियम की धारा 2 (6ए) (डी) के तहत यह परिभाषा के घटकों में से एक है कि इसे कंपनी द्वारा पूंजी में कमी पर वितरित किया जायेगा जिस हद तक कंपनी संचित लाभ रखती है। अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत ऐसे लाभांश को पिछले वर्ष की आय माना जाएगा। जिसमें इसका भुगतान, जमा या वितरित किया जाता है। जब तक कि ऐसा वितरण न हो जैसा कि अधिनियम की धारा 2(6ए)के सी. एल.(डी) में उल्लेख किया गया है। यह एक लाभांश नहीं होगा, अगर इसे इस तरह से वितरित नहीं किया गया था, अधिनियम की धारा. 16 (2) लागू नहीं होगी। इसे दूसरे शब्दों में कहे तो अगर संचित लाभ वितरित किया गया था, तो न केवल सी. एल. (डी) में 'लाभांश' की परिभाषा को पूरा करेगा लेकिन वह वर्ष निर्धारित करें जिसमें इसे आय माना जाएगा, तो फिर "वितरण" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? अभिव्यक्ति "वितरण" का अर्थ है "प्रत्येक को एक हिस्सा देना, कई लोगों को देना।" अभिव्यक्ति "वितरण" किसी वास्तविक चीज को दर्शाता है न कि काल्पनिक। यह भौतिक हो सकता है, यह रचनात्मक भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अलग-अलग

शेयरधारको के बीच राशि वितरित कर सकता है। या तो उनमें से प्रत्येक को उनके संबंधित खातों में राशि जमा करके या वास्तव में उनमें से प्रत्येक को उसके कारण राशि का भुगतान करके। इस अदालत को "भुगतान" शब्द के दायरे का अर्थ अधिनियम में धारा 16 (2) में ,जे. डालमिया बनाम आई. टी. दिल्ली के आयुक्त (1) में लगाना पड़ा। न्यायालय की ओर से बोलते हुए शाह, जे. कहा-

> " "धारा" 16 (2) में "भुगतान किया गया" अभिव्यक्ति ,यह सच है, सदस्य द्वारा लाभांश की वास्तविक प्राप्ति पर विचार नहीं करता है। सामान्य तौर पर, लाभांश को धारा 16 (2) का अर्थ में भुगतान किया जाना कहा जा सकता है जब कंपनी अपना दायित्व का निर्वहन करती है लाभांश की राशि को उसके हकदार को बिना शर्त उपलब्ध कराती है।"

इस न्यायालय ने श्रीमती पी. आर. सरैया बनाम आय-कर आयुक्त, बॉम्बे सिटी I, बॉम्बे (2) में उक्त सिद्धांत की फिर से पुष्टि की और अभिनिर्धारित किया कि जहां लाभांश निर्धारिती की किसी भी अलग खाते में जमा नहीं किया गया था ताकि वह चाहे तो इसे तैयार कर सके। चाहा, इसे निकाला, अधिनियम की धारा 16 (2) अर्थ के भीतर "क्रेडिट या भुगतान" नहीं किया गया था। "वितरण" शब्द का भी यही अर्थ होना चाहिए अभिव्यक्ति "भुगतान" और अभिव्यक्ति "वितरण" के बीच एकमात्र

अंतर यह है कि उत्तरार्ध में आवश्यक रूप से कई व्यक्तियों के बीच विभाजन का विचार शामिल है जो कई व्यक्तियों को भुगतान के समान है।

इस स्तर पर हमारे दृष्टिकोण से कथित विसंगति को आसानी से देखा जा सकता है। यह कहा जाता है कि संचयी लाभ की सीमा का पता लगाने के लिए समय के अलग-अलग बिंदु होंगे, जिसके परिणाम के साथ अधिनियम का 2 (6ए) (डी) व्यवहार में अव्यवहारिक हो जाता है या किसी भी दर पर अनावश्यक जटिलता की ओर ले जाता है। हम इस टिप्पणी के लिए कोई औचित्य नहीं देखते हैं। वितरण एक प्रक्रिया की पराकाष्ठा है। सबसे पहले, शेयरधारको के बीच संचित लाभ का वितरण द्वारा पूंजी में कमी के लिए कंपनी की आम सभा द्वारा एस संकल्प किया जाएगा, दूसरे, कंपनी पूंजी में कमी के पुष्टिकरण आदेश के लिए न्यायालय में आवेदन दायर करेगी। तीसरा, इसकी पुष्टि होने के बाद, इसे संयुक्त स्टाॅक कंपनियों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत किया जाएगा चौथा पंजिकरण के बाद कंपनी शेयरधारकों को शेयर पूंजी की वापसी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करती है और पाँचवाँ, आवेदन प्राप्त करने पर कंपनी उक्त लाभ को या तो प्रत्येक शेयरधारक को उनके आनुपातिक शेयर पूंजी संबंधित खातों में जमा करके या उक्त राशि का नकद भुगतान करके वितरित करेगी। उक्त 5 चरणों में से , पहले 4 केवल आवश्यक प्रारंभिक चरण हैं जो कंपनी को संचित लाभ वितरित करने का

अधिकार देता है। क्रेडिट या भुगतान उक्त घोषणा से संबंधित हैं अर्थात वितरण कंपनी द्वारा वितरित किया जाने वाले संचित लाभ से होता है। इस दृष्टि से, वितरित किए जाने वाले लाभ संचित लाभ संकल्प द्वारा तय किए जाते हैं और यह आंकड़ा भुगतान या क्रेडिट की तारीख के साथ नहीं बदलता है। वास्तव में, साधारण लाभांश के घोषणा के मामले में इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाना है ,सबसे पहले, कंपनी की आम सभा के द्वारा लाभांश घोषित करने का एक प्रस्ताव होगा दूसरा, उसके बाद प्रत्येक शेयरधारक को देय राशि उचित क्रेडिट या भुगतान द्वारा वितरित की जाती है। इस दौरान विभिन्न शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान या जमा किया जा सकता हैै। विभिन्न लेखांकन वर्ष और शेयरधारकों का मूल्यांकन अलग-अलग वर्षों मे उक्त भुगतान के संबंध में किया जा सकता है। फिर भी, भुगतान केवल किसी विशेष वर्ष के मुनाफे में से लाभांश की घोषणा के संदर्भ में होते है। इस न्यायालय में, जैसा कि हमने पहले देखा है,उपर्युक्त निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी शेयरधारक को क्रेडिट या भुगतान का वर्ष मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण था न कि घोषणा की तारीख।

आइए देखें कि क्या यह दृष्टिकोण कंपनी द्वारा देय अति-कर पर छूट में कमी का मामले में कोई जटिलता पेश करता है। अपीलार्थी-कंपनी ने वित्त अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची का भाग II के अनुच्छेद डी के

पहले परंतुक के सी. एल. (ii) के तहत अति-कर पर छूट के लिए दावा दायर किया। कंपनी ने अपने दावे को इस तर्क पर आधारित किया कि पूंजी में कमी पर लाभांश का वितरण 30 नवंबर, 1954 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान हुआ था न कि 30 नवंबर, 1955 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, और इसलिए, वित्त अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची के भाग II का अनुच्छेद डी के दूसरे परंतुक के सी. एल. (i) (बी), जिसे पैराग्राफ डीे (ii) के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है, जो सी. एल. (ii) के प्रथम परंतुक के तहत स्वीकार्य छूट में कमी का प्रावधान करता है। पिछले वर्ष के दौरान शेयरधारकों को वितरित लाभांश की राशि पर कुछ स्लैब दरों पर गणना की गई राशि द्वारा पहले प्रावधान का आह्वान नहीं किया जा सका। दूसरे शब्दों में कहें तो निर्धारिती ने दावा किया कि चूंकि लेखांकन वर्ष में लाभांश वितरित नहीं किया गया था इसीलिए सी.एल.(i) (बी) के उक्त परंतुक के तहत छूट में कोई कमी नहीं की जा सकती है। यदि, जैसा कि हमने माना है, वितरण 30 नवंबर 1955 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान किया था यानी लेखांकन वर्ष में जब राशियों का भुगतान किया गया था, तो राजस्व की गणना निर्धारित दरों पर की गई राशि से छूट को कम करने का हकदार होगा। लाभांश की राशि में कुछ जटिलताएँ तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम इस तर्क को स्वीकार करें कि भुगतान की तारीख संचित लाभ की मात्रा निर्धारित करने के लिए तिथि निर्धारित करता है। लेकिन हमने इस तर्क को खारिज कर दिया है।

इस दृष्टिकोण से वित्त अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची द्वारा प्रदान किए गए अति-कर पर छूट में कमी के दावे पर बिना किसी भ्रम या जटिलता के तैयार किया जा सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि लाभांश का भुगतान या वितरण उस वर्ष में किया गया होना चाहिए जब यह वास्तव में, चाहे भौतिक या रचनात्मक रूप से, विभिन्न शेयरधारकों को भुगतान किया गया था यानी जब राशि को शेयरधारकों के अलग-अलग खाते में जमा किया गया था या उन्हें भुगतान की गई ।

वर्तमान मामले में तथ्य क्या हैं? उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त, 1954 को पूंजी को 25 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक घटाने की मंजूरी दे दी। 4 नवंबर, 1954 को, कंपनी अधिनियम की धारा 61 (4) के तहत कंपनी रजिस्टार ने प्रमाण पत्र जारी किया। 5 नवंबर, 1954 को कंपनी ने शेयरधारकों को धनवापसी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया। भेजे गए नोटिस में शेयरधारकों को सूचित किया गया कि कंपनी का शेयर हस्तांतरण रजिस्टर 16 नवंबर से 30 नवंबर, 1954 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगा। और उन शेयरधारकों को धनवापसी होगी जिनके नाम 15 नवंबर 1954 को रखे गए थे। आवेदन प्राप्त होने के बाद शेयरधारकों को देय राशियों को खातों में डेबिट किया गया और वास्तव में लेखा वर्ष के दौरान अर्थात, 1 दिसंबर, 1954 और 30 नवंबर 1955 के बीच

रिफंड दिया गया। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राशि केवल लेखा वर्ष के दौरान वितरित की गई, जब राशि डेबिट और भुगतान दोनों की गई । इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि लाभांश शेयरधारकों को लेखा वर्ष अर्थात 1954-55 के दौरान वितरित किया गया था।

नतीजतन, अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

जे. बचावतः ब्रदर सुब्बा राव जे. द्वारा दिए गए कारणों से, हम सहमत हैं कि भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 2 (6ए) (डी) केंद्रीय विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है, लेकिन हम उच्च न्यायालय की राय के लिए संदर्भित कानून के चौथे प्रश्न के संबंध में उनके निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं। चौथा प्रश्न वित्त अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची का भाग-II के अनुच्छेद डी के पहले परंतुक के सी.एल. (ii) के तहत अपीलकर्ता कंपनी के अति-कर छूट के दावे के कारण उठा और भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 2 (6ए) (डी) के तहत पूंजी में कमी पर लाभांश के वितरण 30 नवंबर, 1954 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान हुआ ना कि 30 नवंबर, 1955 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान और परिणामस्वरूप वित्त अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची के भाग 2 के अनुच्छेद डी के दूसरे परंतुक के सी. एल. (i) (बी) के तहत

छूट में कोई कमी नहीं की जा सकती थी, को, के पैराग्राफ डी के स्पष्टीकरण (ii) के साथ पढ़ा जाता है।

अब, वित्त अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची भाग II के पैरा डी के दूसरे परंतुक के सी. एल. (i) (बी) में स्वीकार्य छूट को कम करने का प्रावधान पूर्ववर्ती परंतुक के सी. एल. (ii) में "निर्दिष्ट कंपनी के मामले में लाभांश की राशि पर कुछ स्लैब दरों पर संगणित राशि द्वारा जिसने पिछले वर्ष के दौरान अपने शेयरधारकों को अपनी चुकता पूंजी के 6 प्रतिशत से अधिक लाभांश वितरित किए हैं, जो एक निश्चित दर पर देय लाभांश नहीं हैं।" पैराग्राफ डी के स्पष्टीकरण (ii) में प्रावधान है कि पैराग्राफ डी के उद्देश्य के लिए "पद 'लाभांश' में कोई भी शब्द शामिल माना जाएगा। "लाभांश" अभिव्यक्ति में शामिल है जैसा कि धारा 2 सी. एल. (6ए) भारतीय आय-कर अधिनियम में परिभाषित किया गया है। भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 2 (6ए) (डी) के तहत प्रावधान है कि "लाभांश" में किसी कंपनी द्वारा अपनी पूँजी में कमी पर किया गया कोई भी वितरण शामिल हैं, जिस हद तक कंपनी के पास संचित लाभ है जो पिछले वर्ष के अंत के बाद उत्पन्न हुआ। अप्रैल,

1933 के पहले दिन से पहले समाप्त होने वाले पिछले वर्ष का, चाहे ऐसे संचित को पूंजीकरण किया गया हो या नहीं।"

जाहिर है, धारा 2 (6ए) (डी) के तहत पूंजी में कटौती पर वितरण पर विचार करता है। भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 55(1)(सी) के तहत न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन, एक लिमिटेड कंपनी, यदि इसके अनुच्छेदों द्वारा अधिकृत है, तो विशेष प्रस्ताव द्वारा किसी भी तरह से शेयर पूंजी कोे कम कर सकती है और विशेष रूप से "अपने किसी भी शेयर पर दायित्व को समाप्त करने या कम करने के साथ या बिना शेयर, किसी भी चुकता पूंजी का भुगतान कर सकता है जो कंपनी की जरूरतों से अधिक है" और यदि जहाँ तक आवश्यक हो अपनी शेयर पूंजी और शेयरों की राशि को तदानुसार कम करकेे, ज्ञापन में परिवर्तन कर सकता है। अधिनियम की धारा 56 कंपनी को कटौती की पुष्टि करने वाले आदेश के लिए न्यायालय में आवेदन करने में सक्षम बनाती है और अधिनियम की धारा 60 के तहत न्यायालय ऐसे नियमों और शर्तों में कमी की पुष्टि करते हुए आदेश दे सकता है जो वह उचित समझता है। कुछ औपचारिकताओं के अनुपालन पर, संयुक्त स्टॉक कंपनियों के पंजीयक, अधिनियम की धारा 61 के तहत आदेश के लिए और न्यायालय द्वारा अनुमोदित एक कार्यवृत्त, और इससे पहले नही, इस प्रकार पंजीकृत आदेश द्वारा पुष्टि की गई की शेयर

पूंजी को कम करने का संकल्प प्रभावी होगा। धारा 62 के तहत जिस मिनट को पंजीकृत किया गया है, उसे कंपनी के ज्ञापन के संबंधित भाग के लिए प्रतिस्थापित माना जाएगा।

तत्काल मामले में, कंपनी का जारी, अभिदान की गई, और भुगतान की गई 25 लाख की पूंजी , 5 रूपये प्रत्येक के 5 लाख के शेयरों में शामिल है। 16 दिसंबर, 1953 को कंपनी ने भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 55 (1) (सी) के तहत मौजूदा शेयर धारकों को प्रति शेयर 2 रूपये का भुगतान अपनी शेयर पूंजी 25 लाख रुपये से 15 लाख रुपये से कम करने का एक विशेष प्रस्ताव पारित करने का संकल्प किया। 10 मई को 1954 को, कंपनी ने कटौती की पुष्टि के एक आदेश लिए न्यायालय में आवेदन किया। 6 अगस्त 1954 को उच्च न्यायालय ने कटौती की पुष्टि करते हुए एक आदेश दिया। 4 नवंबर, 1954 को, न्यायालय द्वारा अनुमोदित आदेश और कार्यवृत्त को पंजीयक के साथ विधिवत नियमबद्ध किया गया था और उसी तारीख को, पंजीयक ने पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया था। 5 नवंबर, 1954 को, पंजीकरण की सूचना विधिवत प्रकाशित की गई थी। उसी दिन, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को एक परिपत्र नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त करने और शेयर धारकों से आवश्यक समर्थन और शेयर पूंजी की वापसी के लिए शीघ्र तिथी पर कंपनी को आपने शेयर प्रमाण पत्र भेजने का अनुरोध

करने पर प्रति शेयर 2 रूपये का भुगतान किया जाएगा। तथा उन शेयरधारकों को रिफंड किया जाएगा जिनके नाम 15 नवंबर, 1954 को कंपनी की पुस्तकों में दर्ज किये गए थे, शेयर हस्तांतरण रजिस्टर 16 नवंबर से 30 नवंबर, 1954 तक बंद रहेगा। और उन शेयरधारकों को धनवापसी की जाएगी जिनके नाम 15 नवंबर, 1954 को कंपनी की पुस्तकों में थे। 30 नवंबर 1954 को समाप्त होने वाले वर्ष की बैलेंस शीट में कमी नहीं दिखाई गई और इस बैलेंसशीट में कंपनी की पूंजी को 25 लाख रुपये दिखाया गया था। 30 नवंबर, 1954 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आवश्यक पुस्तक प्रविष्टियाँ और शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था। कटौती और धनवापसी के संबंध में पुस्तक प्रविष्टियों की गई और 30 नवंबर 1955 में समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारकों का धनवापसी दी गई थी और 30 नवंबर, 1955 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैलेंसशीट में कमी दिखाई गई।

मुद्दा यह है कि आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 2(6 ए)(डी) द्वारा वितरण पर विचार किया जाना कब घटित होता है? धारा 2(6 ए)(डी) द्वारा किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के बीच अपनी पूंजी में कमी पर अपने पास जमा किए गए लाभ की सीमा तक किसी भी वितरण के रूप में लाभांश की बात करता है। हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि यह वितरण तब होता है जब लाभांश का भुगतान या जमा शेयरधारकों को

किया जाता है। धारा 2(6ए)(डी) वितरण पर विचार, एक कंपनी द्वारा "पूंजी में कमी पर" पर वितरण है। "पर" शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन उप-धारा के संदर्भ में, इसका अर्थ "के समय पर a" दिया जाना चाहिए जैसे कि "प्रवेश करने पर", "महीने की पहली तारीख को" इसलिए उप-धारा द्वारा विचार किया गया उसकी पूँजी में कमी के समय वितरण है, अर्थात, जब भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 55(1)(सी) के तहत इसकी पूँजी में कमी के लिए संकल्प प्रभावी होता है। जैसे ही शेयरधारकों को पूँजी में कमी और अधिशेष पूँजी राशि की परिणामी वापसी प्रभावी हो जाती है, पूँजी कम हो जाती है, अधिशेष पूँजी नहीं रह जाती है और शेयरधारकों को आवंटित हो जाती है, प्रत्येक शेयरधारक अधिशेष के अपने हिस्से की वापसी का एक निहित अधिकार प्राप्त करता है, और प्रतिदाय करने के लिए कंपनी की ओर से एक दायित्व उत्पन्न होती है। यह दायित्व पूंजी में कमी के प्रभाव में आते ही उत्पन्न होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ने पूंजी में कमी और शेयरधारकों के खाते में अधिशेष के हस्तांतरण को दर्शाने वाली आवश्यक पुस्तक प्रविष्टियां नहीं की हैं। "वितरण" शब्द के कई शब्दकोश अर्थ हैं। धारा 2(6ए)(डी) के संदर्भ में, इसका अर्थ है शेयरधारकों के बीच अधिशेष का आवंटन या विभाजन। यह आवंटन होता है और प्रत्येक शेयरधारक को पूंजी कम होते ही अधिशेष के अपने हिस्से पर निहित अधिकार मिल जाता है।

धारा 2(6ए)(डी) की एक बारीक जांच से पता चलता है कि (ए) वितरण एक ही तारीख को होता है और (बी) अभिव्यक्ति "संचित लाभ" का अर्थ है वितरण की तारीख तक संचित लाभ है। ये दो बुनियादी विचार जो धारा 2(6ए)(डी) में निहित हैं। आय-कर अधिनियम, 1961 संबंधित धारा 2 (22) को जबरन स्पष्टीकरण में लाया गया। इस प्रकार हम सबसे पहले पाते हैं कि शेयरधारकों के बीच अधिशेष का पूरा एक ही तारीख पर वितरण लेता है। अब अगर वितरण की एक निश्चित तारीख होनी है तो वह तारीख केवल वही तारीख हो सकती है जब पूँजी में कमी प्रभावी हो जाती है। शेयरधारकों को भुगतान खाता बही में क्रेडिट प्रविष्टियों द्वारा या तो वास्तविक या काल्पनिक bv किया जाता है। भुगतान एक ही तारीख पर करने की आवश्यकता नहीं है। वे अक्सर कई तिथियों पर किए जा सकते हैं। धारा. 2(6ए)(डी) के तहत क्रमिक भुगतान अपेक्षित वितरण नहीं हो सकते है। दूसरा हम पाते हैं कि संचित लाभ निर्धारण वितरण की तारीख पर किया जाना है लेकिन हम इसके बाद उल्लिखित कई कारणों को स्वतंत्र रूप से पाते है कि संचित लाभ का निर्धारण पूंजी में कमी की तारीख को किया जाना चाहिए। इस प्रकार दो घटनाएं, यानी वितरण और पूँजी की कमी को समकालिक होना चाहिए, और संचित लाभ को भी एक ही समय में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह संक्षिप्त पाठ "संचित लाभ की सीमा तक पूंजी में कमी पर कोई वितरण" को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर भी समकालिकता स्पष्ट है।

धारा 2(6ए)(डी) के तहत कृत्रिम लाभांश पूंजी में कटौती की तारीख पर संचित लाभ का संदर्भ द्वारा तय किया जाना चाहिए, ना कि भुगतान की क्रमिक तिथियों पर संचित लाभ के संदर्भ में। यदि लाभांश की राशि भुगतान की कई तिथियों पर संचित लाभ के संदर्भ में तय की जाती तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि कुछ भुगतान अपनी पूरी सीमा तक लाभांश होगें, कुछ सीमित सीमा तक लाभांश होगें और कुछ बिल्कुल भी लाभांश नहीं होगें। एक ऐसा मामला लें जहाँ कंपनी का लेखांकन वर्ष 30 नवंबर को समाप्त होता है इसकी पूंजी में 10 लाख रुपये की कमी और 5 रू के प्रत्येक शेयर के लिए 2 रुपये का रिफंड का संकल्प और एक, छह और तीन लाख रुपये का भुगतान क्रमशः 30 अक्टूबर, 1954, 30 अक्टूबर, 1955 और 30 अक्टूबर 1956 को और यह मानते हुए कि संचित लाभ की यह सीमा 30 जून, 1954 और 30 अक्टूबर, 1954 को दस लाख रुपये है। 30 अक्टूबर, 1955 को दो लाख रुपये और दो लाख रुपये 30 अक्टूबर, 1956 को। यदि लाभांश की राशि भुगतान की तारीखों पर संचित लाभ के संदर्भ मे तय की जानी थी तो परिणाम यह होगा कि एक लाख रुपये का भुगतान पूर्ण सीमा तक लाभांश होगा, छह लाख रुपये का भुगतान एक तिहाई तक लाभांश होगा और भुगतान तीन लाख रुपये का लाभांश बिल्कुल भी नहीं होगा। यह सोचने योग्य है कि विधायिका ने इस तरह के परिणाम पर विचार नहीं किया। वितरण का चरित्र उस तारीख को संचित लाभ की सीमा से निर्धारित किया जाता है जब पूंजी की कमी प्रभावी हो जाती है

और बाद में संचित लाभ में किसी भी वृद्धि या कमी से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और इस प्रकार वितरित पूंजी के भुगतान में वितरण का मूल चरित्र समान होता है।

यह तर्क दिया जाता है कि एक सामान्य लाभांश के मामले में, एक तुलनीय सक्षम वितरण होता है, एक विशेष वर्ष के लाभ में लाभांश की घोषणा की जाती है, और उसके बाद लाभांश भुगतान किया जाता है, और धारा 16(2) के तहत मामलों का फैसला यह दर्शाता है कि वितरण भुगतान पर होता है न कि एक लाभांश की घोषणा पर किया जाता है। हम सोचते हैं कि सामान्य लाभांश की तुलना में धारा 2(6ए)(डी) में संचित लाभ की सीमा तक वितरण के स्वरूप भ्रामक है, और जिन धारणाओं पर यह तुलना की गई है, वे सही नहीं हैं। सामान्य लाभांश की घोषणा संचित लाभ से की जा सकती है, और जरूरी नहीं कि किसी विशेष वर्ष के लाभ से की जाए। धारा 2(6ए)(डी) में सामान्य लाभांश की कोई भी परिभाषा शामिल नहीं है। सामान्य लाभांश के मामले में, संचित लाभ को उस सीमा तक निर्धारण करने का सवाल ही नहीं उठता, जिस सीमा तक वितरण लाभांश के बराबर है। यह समस्या उत्पन्न होती, अगर धारा 2(6ए)में सामान्य लाभांश को "किसी कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा पर उस सीमा तक किसी भी वितरण, जिस हद तक कंपनी के पास संचित लाभ है।" के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी परिभाषा पर, एकमात्र संभावित व्याख्या यह

होगी कि संचित लाभ का पता लगाया जाता है और वितरण लाभांश की घोषणा की तारीख को होता है।

धारा 16(2) के तहत तय किए गए मामलों पर आधारित तर्क गलत धारणा है। धारा 16 (2) इस प्रश्न से संबंधित है कि जब लाभांश को शेयरधारकों की आय माना जाएगा। धारा 16(2) द्वारा लाभांश को भुगतान, जमा, या वितरित किए जाने पर शेयरधारकों की आय माना जाता था। धारा 2(6ए)(डी) के तहत कृत्रिम लाभांश या तो वितरित या भुगतान किया जाता है, जबकि सामान्य लाभांश या तो भुगतान किया जाता है या जमा किया जाता है, और जे. डालमिया बनाम आयकर आयुक्त ([1]) और पद्मावती आर. सुरैया बनाम आयकर आयुक्त ([2]) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य लाभांश का न तो भुगतान किया जाता है और न ही जमा किया जाता है। इस मामले में, हम धारा 16(2) अथवा "भुगतान" या "क्रेडिट" की व्याख्या के निर्माण की समस्या से चिंतित नहीं हैं। "वितरित" शब्द "भुगतान" या "क्रेडिट" शब्द का पर्याय नहीं है। अधिनियम में इन तीनों शब्दों का उपयोग अलग-अलग अर्थों में किया गया है। इसके अलावा, शेयरधारकों के हाथों में लाभांश की करदायित्व के सवाल पर विधायिका की नीति समय-समय पर बदलती रही है। धारा 16 की उप-धारा(2) को निरस्त किया गया और इसके स्थान पर, धारा. 12 की उप-धारा (I ए) को 1 अप्रैल, 1960 से वित्त अधिनियम, 1959 द्वारा लागू किया

गया था और संबंधित प्रावधान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत पाया जाना है। आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 12(1ए) और आय-कर अधिनियम की धारा 8 के तहत ,शेयरधारकों के मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए भी लाभांश महत्वपूर्ण है। इस प्रकार विधायिका अब यह मानती है कि सामान्य लाभांश का वितरण लाभांश की घोषणा पर होता है।

तत्काल मामले में, कंपनी की पूंजी में कमी के लिए और इसके शेयरधारकों को अधिशेष पूंजी की परिणामी वापसी का संकल्प 4 नवंबर, 1954 को प्रभावी हुआ। वस्तुतः, धारा 2(6ए)(डी) द्वारा परिभाषित लाभांश का वितरण 4 नवंबर, 1954 को हुआ था, यानी मूल्यांकन वर्ष 1955-56 के अनुरूप पिछले वर्ष के दौरान । यह सच है कि 30 नवंबर, 1954 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई लाभांश नहीं दिया, और न ही पूँजी में कमी या अधिशेष पूँजी धन वापसी या भुगतान के संबंध में कोई पुस्तक प्रविष्टियाँ की। लेकिन कंपनी ने 4 नवंबर 1954 को धनवापसी करने का कानूनी दायित्व वहन किया। और वितरण 4 नवंबर, 195 को हुआ माना चाहिए, हालांकि कोई पुस्तक प्रविष्टियाँ नहीं की गईं और उस तारीख को कोई भुगतान नहीं किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वितरण 4 नवंबर, 1954 को प्रभावी हुआ। कंपनी 4 नवंबर, 1954 को उनकी पुस्तकों में पूंजी में कमी दिखाने के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ बनाने के लिए बाध्य थी और 30 नवंबर, 1954 को समाप्त होने

वाले वर्ष में अपने बैलेंस शीट में कमी दिखाने के लिए भी बाध्य थी। जो भी हो बहीखाता रखने की विधि के बावजूद कंपनी ने 4 नवंबर 1954 का धनवापसी करने का कानूनी दायित्व वहन किया बहीखाता की विधि प्रासंगिक नहीं है, लेकिन,यदि ऐसा था, यह याद रखना उचित है कि कंपनी के खाते व्यापारिक आधार पर रखे गए थे। लेखांकन की वह प्रणाली उस व्यय को डेबिट में लाती है जिसके लिए कानूनी दायित्व वास्तव में वितरित होने से पहले व्यय किया जाता है। केशव मिल्स लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त, बॉम्बे (1) देखें।

निष्कर्ष में, हमें यह बताना चाहिए कि राजस्व अधिकारियों को 4 नवंबर, 1954 को संचित लाभ के संदर्भ में लाभांश की राशि तय करनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में नहीं की। जब पूँजी में कमी का संकल्प प्रभावी हो गया, या संदर्भ 1 दिसंबर 1953 को लेखा वर्ष की शुरुआत में संचित लाभ को सामने लाया गया जिसकी वजह से पूँजी में कमी आई। इसके बजाय, राजस्व अधिकारियों ने 1 दिसंबर 1954 को संचित लाभ को ध्यान में रखा अर्थात अगले लेखांकन वर्ष के प्रारंभ की तिथि जिसके दौरान लाभांश का भुगतान किया गया था। 1 दिसंबर, 1954 को संचित लाभ की राशि आय-कर अधिकारी द्वारा 8,42,337 निर्धारित की गई और बाद में न्यायाधिकरण द्वारा कम करके 4,69,244-13-0 रु कर दी गई थी। राजस्व अधिकारियों ने सही ही मान लिया कि वितरण और संचित लाभ का

निर्धारण, जिस सीमा तक वितरण किया गया है, उसे धारा 2 (6ए)(डी) के तहत लाभांश की राशि माना जाता है, उसी लेखा वर्ष के दौरान हुआ, लेकिन उन्होंने इसे धारण करने में गलती की कि 1 दिसंबर, 1954 को शुरू होने वाला लेखा वर्ष प्रासंगिक वर्ष है।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की थी कि धारा 2(6ए)(डी) के तहत लाभांश मूल्यांकन वर्ष, 1956-57 के अनुरूप पिछले वर्ष के दौरान वितरित किए गए थे। हमारा मानना है कि धारा 2(6ए)(डी) के तहत लाभांश, यदि कोई हो, आंकलन वर्ष 1955-56 के अनुरूप पिछले वर्ष में वितरित किया गया था, और चौथे प्रश्न का उत्तर तद्नुसार दिया जाना चाहिए। इस सीमा तक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विभाजित सफलता को देखते हुए हम निर्देश देते हैं कि पक्ष इस अदालत और नीचे की अदालत में अपनी लागत का भुगतान और वहन करेंगे।

अदालत द्वारा आदेश

बहुमत के फैसले के अनुसार, अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनिल आर्य आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।